न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हाथरस।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1598/2022
(CNR No. UPHT01003590-2022)

सुभाष प्रति उ0 प्र0 राज्य

धारा–379, 411 भा0दं0सं0
अपराध संख्या–263/2022
थाना–हाथरस गेट, जिला हाथरस।

आदेश

17.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष** की ओर से अपराध संख्या 263/2022, अन्तर्गत धारा 379, 411 भा0दं0सं0, थाना हाथरस गेट, जिला हाथरस के अपराध में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के पैरोकार/भाई जितेन्द्र तोमर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार, प्रार्थी/ अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, वादी विकास चतुर्वेदी कृष्णा हेल्थ केयर हास्पीटल मथुरा रोड, हाथरस में मैनेजर का कार्य करता है। दिनांक 11.08.2022 को समय करीब 03:00 बजे दिन में हास्पीटल में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 03 पर्दे, 05 तस्वीर, 03 ऑक्सीमीटर एवं एक पैंट में रखे रूपये चोरी कर ले गया था। दिनांक 14.08.2022 को वादी व डाक्टर साहब ने हास्पीटल में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे को खोल कर देखे तो फुटेज में एक व्यक्ति हास्पीटल से सामान चोरी करते हुये दिखा। सी0सी0टी0वी0 चेक करते समय हास्पीटल में कर्मचारी भी मौजूद है, जिन्होंने फुटेज को देखकर सुभाष के रूप में पहचान की। यह व्यक्ति एक–दो बार हास्पीटल में आ चुका है। इसका प्राईवेट क्लीनिक खेडा बरामनी में है। वादी व उसके साथ विवेक, राघव, राजन एवं पवन खेडा बरामनी पहुंचे तो सुभाष क्लीनिक पर मौजूद मिला तथा क्लीनिक में उक्त हास्पीटल से चोरी पर्दे व तस्वीर लगे हुये मिले। वादी व अन्य लोगों द्वारा सुभाष को मय पर्दे व तस्वीर थाने लाकर, तहरीर प्रस्तुत कर उसके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त दिनांक 14.08.2022

Digitally signed by TRILOK PAL SINGH
Date: 2022.10.17 11:01:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Hathras

को कृष्णा हेल्थ केयर हास्पीटल अपने इलाज के लिये गया था तथा डाक्टर को दिखाने के नम्बर को लेकर उसकी स्टाफ से कहा–सुनी हो गयी और वहीं स्टाफ ने उसे पकडकर पुलिस से साजकर उक्त अपराध में झूॅठा संलिप्त करा दिया। अभियुक्त के पास कोई बरामदगी नहीं हुई है, दर्शित बरामदगी झूॅठी है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 15.08.2022 से कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये, तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने कृष्णा हेल्थ केयर हास्पीटल मथुरा रोड, हाथरस से 03 पर्दे, 05 तस्वीर, 03 ऑक्सीमीटर एवं एक पैंट में रखे रूपये चोरी किये है, जो कि वादी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त की क्लीनिक से बरामद किये गये हैं। अभियुक्त की चोरी करते समय सी0सी0टी0वी0 फुटेज में रिकार्डिंग है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 15.08.2022 से कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष** की ओर से अपराध संख्या 263/2022, अन्तर्गत धारा 379, 411 भा0दं0सं0, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस के अपराध में मु0 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू संबन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः–17.10.2022

(त्रिलोक पाल सिंह)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
हाथरस।